क.

पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड।

वी.

पंजीकरणकर्ता, सहकारी समितियाँ और अन्य (2022 की सिविल अपील संख्या 297-298)

11 जनवरी, 2022

[अजय रस्तोगी और अभय एस**.** ओका**,** जे**.** जे**.]**

सेवा कानून-पंजाब राज्य सहकारी कृषि भूमि बंधक बैंक सेवा (सामान्य संवर्ग) नियम, 1978 -आर. 15 (ii)-कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952-भारत का संविधान-अनुच्छेद 14,16,21-पेंशन योजना-मौजूदा नियम के तहत कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ को दूर करने के लिए पूर्वव्यापी संशोधन-की शुद्धता-आयोजितःपूर्वव्यापी संचालन वाला एक संशोधन जो मौजूदा नियम के तहत कर्मचारी को पहले से उपलब्ध लाभ को छीनने का प्रभाव रखता है, कर्मचारी को उसके निहित/अर्जित अधिकारों से वंचित कर देगा और इस प्रकार अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन है-वर्तमान मामले में, बैंक पेंशन योजना 01.04.1989 से शुरू की गई थी-प्रतिवादी-कर्मचारियों से विकल्प बुलाए गए थे और जिन्होंने विकल्प दिया था वे पेंशन योजना के सदस्य बन गए और तदनुसार उन्हें पेंशन का लगातार भुगतान किया गया-केवल वर्ष 2010 में, जब बैंक अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहा, तो कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया-बैंक ने बाद में 2014 में संशोधन द्वारा खंड 15 (ii) को हटाकर पेंशन योजना को वापस ले लिया, जिसे 01.04.1989 से शुरू किया गया था-जो कर्मचारी थेसेवा कानून-एक कर्मचारी के निहित/अर्जित अधिकारों की अवधारणा-चर्चा की गई।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

सिद्धांत/सिद्धांत-निहित/अर्जित अधिकार की तुलना में वैध अपेक्षा-आयोजितःवैध अपेक्षा और कर्मचारियों के पक्ष में निहित/अर्जित अधिकार के बीच अंतर है-नियम जो ऐसे कर्मचारी को पदोन्नति, वरिष्ठता, सेवानिवृत्ति की आयु के उद्देश्यों के लिए वर्गीकृत करता है, उन लोगों पर काम करता है जिन्होंने नियम बनाने से पहले सेवा में प्रवेश किया था, लेकिन यह भविष्य में काम करता है-एक अर्थ में, यह उन लोगों के वरिष्ठता, पदोन्नति या सेवानिवृत्ति की आयु के भविष्य के अधिकार को नियंत्रित करता है जो पहले से ही सेवा में हैं।

सेवा कानून-पेंशन योजना-मौजूदा नियम के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी को अर्जित अधिकार को छीनने वाले विवादित संशोधन को सही ठहराने के लिए अपीलकर्ता-बैंक द्वारा की गई वित्तीय संकट की याचिका-आयोजित की गईःस्वीकार्य नहीं-नियम बनाने वाले प्राधिकारी को अधीनस्थ कानून के विशेष टुकड़े के प्रभावों को जानने के लिए माना जाता था और एक बार जब बैंक ने सचेत हो कर पेंशन योजना शुरू कर दी, तो यह माना जा सकता है कि सक्षम प्राधिकारी को उन संसाधनों के बारे में पता था जहां से अपने सेवानिवृत्त लोगों को भुगतान करने के लिए धन बनाया जाना है।

ग

डी.

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः**1.1** पूर्वव्यापी संचालन वाला एक संशोधन जो मौजूदा नियम के तहत कर्मचारी को पहले से उपलब्ध लाभ को छीनने का प्रभाव रखता है**,** वास्तव में कर्मचारी को उसके निहित या अर्जित अधिकारों से वंचित कर देगा और ऐसा होने पर**,** इसे संविधान के अनुच्छेद **14** और **16** के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा।तत्काल मामले में**,** बैंक पेंशन योजना **1.04.1989** से शुरू की गई थी और कर्मचारियों से विकल्प मांगे गए थे और जिन्होंने अपना विकल्प दिया था वे पेंशन योजना के सदस्य बन गए और तदनुसार उन्हें लगातार पेंशन का भुगतान किया गया और केवल वर्ष **2010** में**,** जब बैंक अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहा**,** तो प्रतिवादी कर्मचारियों ने रिट याचिकाएं दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।बैंक ने बाद में अनुच्छेद **15 (ii)** को हटाकर पेंशन की योजना को वापस ले लिया**,** जिसमें अनुच्छेद **15 (ii)** का संशोधन किया गया था**,** जिसे अनुच्छेद **1** से लागू किया गया था और जिन कर्मचारियों ने इस योजना के तहत पेंशन का लाभ उठाया था**,** वास्तव में उनके अधिकार निहित थे और उन्हें अर्जित किया गया था और इसके विपरीत कोई भी संशोधन**,** जो ए के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी को अर्जित अधिकार को छीनने के लिए पूर्वव्यापी संचालन के साथ किया गया था।

ई.

च

जी.

एच.

293

पंजाब राज्य सहकारी समिति। एग्रीक। विकास बैंक लिमिटेड बनामद रेजिस्ट्रार, को-ऑप। समाज ए

मौजूदा नियम निश्चित रूप से न केवल अनुच्छेद **14** का बल्कि संविधान के अनुच्छेद **21** का भी उल्लंघन करता है।**[**अनुच्छेद **47,48] [314-**एच**; 315-**ए**-**डी**] 1.** वैध अपेक्षा और कर्मचारियों के पक्ष में निहित/अर्जित अधिकार के बीच अंतर है। नियम जो ऐसे कर्मचारी को पदोन्नति**,** वरिष्ठता**,** सेवानिवृत्ति के उद्देश्यों के लिए वर्गीकृत करता है**,** निस्संदेह उन लोगों पर काम करता है जिन्होंने नियम बनाने से पहले सेवा में प्रवेश किया था**,** लेकिन यह भविष्य में काम करता है।एक अर्थ में**,** यह उन लोगों के वरिष्ठता**,** पदोन्नति या सेवानिवृत्ति की आयु के भविष्य के अधिकार को नियंत्रित करता है जो पहले से ही सेवा में हैं। उदाहरण के लिए**,** यदि किसी व्यक्ति को सेवा में प्रवेश करते समय**,** यह वैध अपेक्षा है कि नियमों की तत्कालीन मौजूदा योजना के अनुसार**,** उसे योग्यता सेवा के कुछ वर्षों के बाद या सेवानिवृत्ति की आयु के साथ पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है जो नियमों की योजना के तहत निर्धारित किया जा रहा है**,** लेकिन बाद के चरण में**,** यदि पदोन्नति की योजना या सेवानिवृत्ति की आयु में कोई संशोधन किया जाता है**,** तो यह सेवा की अन्य शर्तों को बदल सकता है जैसे कि नियमों की योजना भविष्य में संचालित होती है।लेकिन साथ ही**,** यदि वह कर्मचारी जिसे पहले ही किसी विशेष वेतनमान में पदोन्नत या निर्धारित किया जा चुका है**,** यदि उसे नियमों की विवादित योजना द्वारा पूर्वव्यापी रूप से छीन लिया जा रहा है**,** तो यह निश्चित रूप से पदधारी के निहित/अर्जित अधिकार को छीन लेगा जो अनुज्ञेय नहीं हो सकता है और संविधान के अनुच्छेद **14** और **16** का उल्लंघन हो सकता है।**[**पारस **49,50] [315-**डी**-**एच**]**

ग

डी.

ई.

1.3 अपीलकर्ता बैंक के वित्तीय संकट के बारे में प्रस्तुत करने के संबंध में यह कहने के लिए कि पेंशन के अनुदान को जारी रखना संभव नहीं हो सकता है**,** यह कहने के लिए पर्याप्त है कि नियम बनाने वाले प्राधिकरण को अधीनस्थ कानून के विशेष टुकड़े के परिणामों को जानने के लिए माना गया था और एक बार जब बैंक ने पंजाब सरकार और सहकारी पंजीयक से अनुमति लेने के बाद एक सचेत निर्णय लिया**,** तो **1** अप्रैल **1989** से पेंशन योजना शुरू की गई**,** यह माना जा सकता है कि सक्षम प्राधिकारी को उन संसाधनों के बारे में पता था जहां से अपने सेवानिवृत्त लोगों को भुगतान करने के लिए धन बनाया जाना है और केवल इसलिए कि बाद में वह अपने आदेश पर अपने सेवानिवृत्त लोगों को वित्तीय संसाधन रखने में असमर्थ था**,** इसे वापस लेना उचित नहीं होगा।

च

जी.

एच.

उन कर्मचारियों के हित जो न केवल योजना के सदस्य बने बल्कि कम से कम वर्ष **2010** तक नियमित रूप से अपनी पेंशन प्राप्त करते रहे जब तक कि पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न नहीं हो गया और वे मुकदमेबाजी में प्रवेश नहीं कर गए।वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता अपीलकर्ता बैंक के लिए कर्मचारियों को अर्जित निहित अधिकारों को छीनने के लिए उपलब्ध बचाव नहीं होगा**,** वह भी तब जब यह उनकी सामाजिक**-**आर्थिक सुरक्षा के लिए हो।यह एक आश्वासन है कि उनके बुढ़ापे में**,** पेंशन के लिए उनका आवधिक भुगतान सुनिश्चित रहेगा।जो पेंशन उन्हें दी जा रही है वह कोई इनाम नहीं है और यह अपीलार्थी के लिए है कि वह उन संसाधनों का उपयोग करे जहां से कर्मचारियों के अधिकारों को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध कराया जा सकता है ताकि उनके पक्ष में अर्जित निहित अधिकारों की रक्षा की जा सके।**[**पारस **54,55] [317-**ए**-**ई**]**

ग

मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक कर्मचारी संगठन और एक अन्य बनाम मराठवाड़ा ग्रामीण का प्रबंधन

बैंक और अन्य 2011 (9) एस. सी. सी. 620:[2011] 11

एससीआर **269;** राजस्थान राज्य बनाम ए**.** एन**.** माथुर और

डी.

अन्य 2014 (13) एस. सी. सी. 531:[2013] [11] एस. सी. आर. 240; राज्य

हिमाचल प्रदेश और अन्य बनाम राजेश चंदर

सूद और अन्य 2016 (10) एससीसी 77:[2016] 6 एस. सी. आर. 851-लागू नहीं होता है।

1.4 जहाँ तक सेवारत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने का संबंध है**,** उनके पास सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही**,** इस न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने की उनकी आशंका पूरी तरह से गलत है क्योंकि नियोक्ता/कर्मचारी का योगदान अधिनियम **1952** की कर्मचारी पेंशन योजना **(**ईपीएस**)** के तहत प्रदान किया जा रहा है जो सेवारत कर्मचारियों पर लागू होता है और वे अधिनियम **1952** के प्रावधानों के अनुसार पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं।जहां तक योगदान के भुगतान के संबंध में उनकी शिकायत का संबंध है**,** यह किसी भी तरह से सेवानिवृत्त/उत्तरदाताओं को पेंशन के भुगतान के लिए समायोजित नहीं किया जाएगा**,** जो पेंशन योजना के संदर्भ में अपनी पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं**,** जिसमें वे सदस्य हैं और

यह अपीलकर्ता बैंक का काम है कि वह संसाधनों को आरक्षित करे और उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतान करे जो योजना में पेंशन चाहते हैं जब वे सदस्य बने और उसके अनुसार लाभ उठाए।**[**पैरा **56] [317-**एफ**-**एच**]** ए

ई.

च

जी.

एच.

295

पंजाब राज्य सहकारी समिति। एग्रीक। विकास बैंक लिमिटेड बनामद रेजिस्ट्रार, को-ऑप। समाज ए

1.5 कर्मचारियों की शिकायत कि उन्हें **2013** से अपनी पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है**,** दिए गए समय पर कुछ कर्मचारियों को बैंक द्वारा एक अंतरिम उपाय के रूप में पेश किए गए एकमुश्त निपटान का लाभ दिया गया है**,** जो लंबित मुकदमेबाजी में दोनों पक्षों की शिकायतों**,** बैंक की वित्तीय बाधाओं और बैंक पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने के हकदार कर्मचारियों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उनके अधिकारों को संरक्षित करने के अधीन था**,** जहां तक पेंशन के तत्व के लिए बकाया है**,** जिसके लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी हकदार हैं**,** अपीलकर्ता बैंक **31** दिसंबर**, 2021** तक अगले एक वर्ष में दिसंबर**, 2022** के अंत तक **12** मासिक किश्तों में पेंशन के लिए बकाया का भुगतान करने के लिए स्वतंत्र है और वे कर्मचारी जिन्होंने एकमुश्त निपटान के तहत भुगतान स्वीकार किया है।फिर भी यदि बकाया बकाया रहता है**,** तो इसका भुगतान **12** मासिक किश्तों में किया जाएगा।साथ ही**,** प्रत्येक कर्मचारी जो बैंक पेंशन योजना का सदस्य है**,** उसे जनवरी **2022** के महीने से पेंशन मिलनी चाहिए**,** जो कानून के तहत स्वीकार्य है।**[**पैरा **57] [318-**ए**-**डी**]**

ग

डी.

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और अन्य बनाम। सी. आर. रंगधमैया और अन्य 1997 (6) एस. सी. सी. 623:[1997]

ई.

3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 63-**अनुसरण किया गया।

यूपी। राघवेंद्र आचार्य और अन्य बनाम राज्य

कर्नाटक और अन्य 2006 (9) एस. सी. सी. 630:[2006] 2

पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 582;** बैंक ऑफ बड़ौदा और एक अन्य बनाम जी**.**

पलानी और अन्य 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 3691 पर भरोसा किया।

च

निर्णीत विधि संदर्भ

[2011] 11 एस**.** सी**.** आर**. 269** अभिनिर्धारित अप्रयोज्य पैरा **25 [2013] 11** एस**.** सी**.** आर**. 240** अभिनिर्धारित अप्र लागू पैरा **25 [2016] 6** एस**.** सी**.** आर**. 851** अभिनिर्धारित अप्र लागू पैरा **25 [1997] 3** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 63** का अनुसरण किया गया

जी.

पैरा **30**

[2006] 2 पूरक।एससीआर **582** पर भरोसा किया गया

पैरा **30**

एच.

296

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अजय रस्तोगी**,** जे।

1 . अनुमति प्रदान की गई.

2. 2020 की सिविल अपील @एसएलपी (सिविल) संख्या 1940-1941 और संज्ञानात्मक अपीलें चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित 29 जुलाई, 2019 और 4 अक्टूबर, 2019 के स्वयं के समान सामान्य निर्णय से उत्पन्न होती हैं।

3. इस न्यायालय द्वारा 2020 के सिविल अपील्स @एसएलपी (सिविल) संख्या 1940-1941 से तथ्यों पर ध्यान दिया गया है।

ग

4. अपीलों के वर्तमान समूह में अपीलकर्ता पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) है, जो एक पंजीकृत सहकारी समिति है और 2020 की संबंधित सिविल अपील @स्पेशल लीव पिटिशन (सिविल) No.12864 को बैंक के सेवारत कर्मचारियों द्वारा प्राथमिकता दी गई है, जो कार्यवाही में स्वयं के उसी विवादित फैसले से व्यथित होने का दावा करते हैं।साथ ही, प्रतिवादी मूल रिट याचिकाकर्ता हैं जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें पंजाब राज्य सहकारी कृषि भूमि बंधक बैंक सेवा (सामान्य संवर्ग) नियम, 1978 (इसके बाद "नियम 1978" के रूप में संदर्भित) द्वारा शासित होती हैं और बैंक पेंशन योजना के सदस्य बन जाते हैं, जिसे 1 अप्रैल, 1989 से शुरू किया गया था। 5.अपीलकर्ता बैंक एक पंजीकृत सहकारी समिति है जिसे पहले "पंजाब राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड" के रूप में जाना जाता था। बैंक का प्रमुख उद्देश्य कृषक समुदाय को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना और उन्हें साहूकारों के चंगुल से बचाना है।अपीलार्थी बैंक का मुख्य वित्त पोषण निर्धारित मानदंडों के अनुसार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ऋण के माध्यम से होता है।अपीलार्थी बैंक की दो स्तरीय संरचना है जिसमें शीर्ष स्तर (एसएडीबी) पर "पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड" और जमीनी स्तर पर "प्राथमिक कृषि विकास बैंक" (पी. ए. डी. बी.) शामिल हैं।ये दोनों बैंक किसानों को समय पर ऋण का वितरण सुनिश्चित करते हैं, जो इसके सदस्य हैं और विभिन्न योजनाओं से सीधे लाभान्वित होते हैं जो उन्हें दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण प्रदान करते हैं।

डी.

ई.

च

जी.

6. 1989 से पहले, अपीलकर्ता बैंक के कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, ए के तहत आते थे।

एच.

पंजाब राज्य सहकारी समिति। एग्रीक। विकास बैंक लिमिटेड बनाम.द रेजिस्ट्रार, को-ऑप। सोसायटीज [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

1952 (इसके बाद "अधिनियम 1952" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है)।इस योजना का विधिवत पालन किया जा रहा था और कर्मचारियों और नियोक्ता बैंक द्वारा नियमित रूप से आवश्यक योगदान का भुगतान किया जाता था।

7. वित्त विभाग, पंजाब सरकार ने 22 सितंबर 1988 को अपने पत्र के माध्यम से, विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों में सेवारत कर्मचारियों को राज्य पेंशन नियमों के दायरे में लाने के लिए पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, प्रत्येक मामले में शामिल अतिरिक्त वित्तीय बोझ को संप्रेषित करने के लिए संबंधित संगठनों के विचार/टिप्पणियां मांगी और कहा कि क्या संगठन/संगठन अपने संसाधनों से अतिरिक्त दायित्व वहन कर सकते हैं।ये सिफारिशें बैंक के प्रशासक के समक्ष रखी गईं, जिन्होंने 22 जून 1989 के प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया और इसके परिणामस्वरूप, सामान्य संवर्ग के कर्मचारियों और अधिकारियों की पेंशन योजना 1 अप्रैल, 1989 से शुरू की गई।

ग

डी.

8. अपीलार्थी बैंक के प्रशासक द्वारा दिनांक 22 जून, 1989 को पारित प्रस्ताव No.24 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

च

जी.

एच.

9. इसके आगे बढ़ते हुए, अपीलकर्ता बैंक ने 27 जून, 1989 को पंजीयक, सहकारी समितियों, पंजाब को एक पत्र भेजा, जिसमें नियमों, 1978 के तहत अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना शुरू करने की मंजूरी मांगी गई थी।सहकारी समितियों के पंजीयक, पंजाब ने 7 फरवरी, 1990 को अपने संचार द्वारा अपीलकर्ता बैंक द्वारा प्रस्तावित पेंशन योजना को नियम 1978 के तहत अपने कर्मचारियों को लागू करने के लिए अपनी मंजूरी से अवगत कराया।इसके अनुसरण में, नियम, 1978 में संशोधन किया गया था और नियम 15 (ii) को पंजीयक सहकारी समितियों, पंजाब की मंजूरी से पेंशन योजना तैयार करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करते हुए पेश किया गया था।संदर्भ के उद्देश्य से, नियम 15 (ii) यहाँ नीचे निकाला गया हैः- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

“15 (i) प्रोविडेंट फंडः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाई गई योजना के अनुसार कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि के लाभ के हकदार होंगे।

डी.

(ii) पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक डब्ल्यू. ई. एफ. **1.4.89** के सामान्य संवर्ग नियमों में कर्मचारियों/कार्यालयों के लिए पेंशन योजना।

1. संक्षिप्त शीर्षक और शुरुआतः**- -**प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

ई.

(i) इन नियमों को पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक कर्मचारी पेंशन, परिवार पेंशन और सामान्य भविष्य निधि नियम कहा जाएगा।

((ii) ये नियम 1.4.89 से लागू होंगे।

च

2. आवेदन

(i) ये नियम सामान्य संवर्ग नियमों के परिशिष्ट 'I' में निर्दिष्ट सेवाओं के सभी पदों पर लागू होंगे, बशर्ते कि सरकारी विभागों से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के मामले में, ये नियम केवल संबंधित सरकारी विभाग के साथ उनके प्रतिनियुक्ति के नियमों और शर्तों में निर्दिष्ट सीमा तक लागू होंगे।

जी.

बशर्ते कि इन नियमों में कुछ भी समय से लागू किसी अन्य कानून, वैधानिक नियमों, उपनियमों और विनियमों के अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करेगा।

एच.

बशर्ते कि एक कर्मचारी जो इन नियमों के लागू होने पर या उसके बाद सेवा में शामिल होता है और ऐसे मौजूदा कर्मचारी, जो इन नियमों का विकल्प चुनते हैं, इन नियमों के दायरे में आएंगे।सभी श्रेणी के कर्मचारियों को इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन महीने के भीतर इन नियमों के फॉर्म-ए में इस विकल्प का उपयोग करना होगा।

(ii) जो कर्मचारी इन नियमों का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और नियमों द्वारा शासित होंगे।

3. परिभाषाः**- -**प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

XXX XXX XXX

(ओ) भुगतानः- वेतन का अर्थ है पंजाब सिविल सेवा नियम खंड-I भाग-I के नियम 2.44 में परिभाषित वेतन।

ध्यान देंः- जब तक पंजाब सिविल सेवा के नियम 2.44 में परिभाषित 'वेतन' शब्द के संदर्भ या विषय से इसके विपरीत नहीं दिखाई देता है, खंड-I, भाग-I में 'विशेष वेतन' शामिल नहीं है।10. इसे आगे बढ़ाते हुए, संशोधित नियम 15 (ii) 1 अप्रैल, 1989 से लागू हुआ।योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत के बाद, कर्मचारियों और अपीलकर्ता बैंक द्वारा किए गए योगदान को पेंशन कोष बनाने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था ताकि इसे कार्यात्मक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके और योजना के प्रबंधन और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 24 मार्च, 1993 को एक न्यास विलेख द्वारा एक न्यास बनाया गया था।

डी.

ई.

11. अभिलेख से पता चलता है कि अपीलकर्ता बैंक के कर्मचारी जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना था, वे पेंशन योजना के सदस्य बन गए और वर्ष 2010 तक इसे चुनने के बाद भी पेंशन का लाभ प्राप्त करते रहे।बाद में, जब अपीलार्थी बैंक ने वित्तीय बाधाओं के कारण योजना को अव्यवहारिक पाया, तो अपीलार्थी बैंक के निदेशक मंडल ने 29 मई, 2010 को अपनी बैठक में एजेंडा संख्या 15 के संदर्भ में बैंक कर्मचारियों को पेंशन देने के मामले पर पुनर्विचार किया और निम्नानुसार समाधान कियाः- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

जी.

1. सेवानिवृत्त कर्मचारियों और भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को पेंशन के बारे में सूचित किया जाए।

2. 1.1.2004 पर या उसके बाद कार्यरत कर्मचारियों के मामले में पेंशन योजना लागू नहीं होगी।

एच.

3. पेंशनभोगियों को पेंशन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल. टी. सी. का लाभ नहीं दिया जाएगा।

4. मौजूदा नियमों के अनुसार, कर्मचारियों की 12 प्रतिशत जी. पी. एफ. कटौती के बराबर योगदान बैंक द्वारा जारी रखा जाएगा।

5. सहकारी समितियों के पंजीयक के दिनांक (आईडी1) के पत्र (आईडी2) के अनुसार, एसएडीबी और पी. ए. डी. बी. के लाभ का 12 प्रतिशत कर्मचारी लाभ कोष में आवंटित किया जाए और इसका 90 प्रतिशत हिस्सा पेंशन कोष में योगदान किया जाए।

6. बैंक अपने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एलटीसी सुविधाओं के हस्तांतरण को रोककर, पेंशन की योग्य राशि पर 25 प्रतिशत कटौती करके और एसएडीबी/पी. ए. डी. बी. के मुनाफे के खिलाफ पेंशन राशि को समायोजित करने के बाद नियमों के अनुसार एसएडीबी और पी. ए. डी. बी. के बकाया ऋणों के आधार पर अपने धन/खर्चों से पेंशन जारी रखेगा।

ग

डी.

7. जैसे-जैसे बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार होता है, पूर्ण पेंशन के भुगतान पर विचार किया जा सकता है।

12. अपीलार्थी बैंक ने 9 जून, 2010 को पंजीयक, सहकारी समितियों, पंजाब को एक पत्र भेजा, जिसमें उपरोक्त प्रस्ताव की मंजूरी मांगी गई थी।सहकारी समितियों के पंजीयक, पंजाब ने 3 सितंबर, 2010 को अपने पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता बैंक को अपने प्रस्ताव की समीक्षा करने के निर्देश जारी किए।इसके अनुसार, अपीलकर्ता बैंक ने 29 मई, 2010 के संकल्प संख्या 15 के अनुसार पेंशन योजना को आगे बढ़ाने के लिए 30 मार्च, 2011 को पंजीयक, सहकारी समितियों, पंजाब को अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया।हालाँकि पंजाब, चंडीगढ़ की सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था, फिर भी अपीलकर्ता बैंक के निदेशक मंडल ने 17 अगस्त, 2012 के अपने प्रस्ताव के अनुसार पेंशन योजना को बंद करने और एक बार के निपटारे के प्रस्ताव के साथ अंशदायी भविष्य निधि की योजना पर लौटने का फैसला किया।निदेशक मंडल ने बाद में पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 की धारा 84 ए (2) में निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजीयक, सहकारी समितियों की पूर्व मंजूरी के साथ 11 मार्च, 2014 के आदेश द्वारा नियम, 1978 के नियम 15 में संशोधन किया।इसके अनुसार, नियम 15 (ii) को हटा दिया गया।11 मार्च, 2014 के आदेश को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः- ए.

ई.

च

जी.

एच.

301

पंजाब राज्य सहकारी समिति। एग्रीक। विकास बैंक लिमिटेड बनामद रेजिस्ट्रार, को-ऑप। सोसायटीज [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

पंजीयक, सहकारी समितियाँ, पंजाब, चंडीगढ़ (ऋण शाखा-1)

सेवा में

प्रबंध निदेशक,

पंजाब राज्य सहकारी कृषि।देव। बैंक लिमिटेड, चंडीगढ़।

मेमो।क्रेडिट/सीए-3/2841

तारीखः11.03.2014 उपः- पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक सेवा सामान्य संवर्ग नियम, 1978 के खंड 15 में संशोधन।

ग

संदर्भःआपका कार्यालय पत्र सं। प्रशासन/एस 07/11984 दिनांक 27.01.2014 इस कार्यालय को ऊपर बताए गए विषय पर एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

पंजाब सहकारी समिति अधिनियम 1961 की धारा 84 ए (2) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक द्वारा भेजे गए प्रस्ताव और कानूनी राय की जांच करने के बाद, सहकारी समितियों के पंजीयक ने पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक सेवा सामान्य संवर्ग नियम 1978 में निम्नलिखित संशोधनों की अनुमति दी हैः

डी.

ई.

च

जी.

13. यह अभिलेख से पता चलता है कि चूंकि अपीलार्थी बैंक ने संशोधन से बहुत पहले ही पेंशन का भुगतान करना बंद कर दिया था

एच.

302

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

नियम 1978 के नियम 15 (ii) के तहत, कर्मचारियों ने रिट याचिकाएं दायर करके संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और विभिन्न अंतरिम आदेश समय-समय पर पारित किए गए और एक स्तर पर भी एक बार के निपटारे का प्रस्ताव पेश करने का निर्णय लिया गया, जिसे अपीलकर्ता बैंक द्वारा 16 अक्टूबर, 2012 को उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही में प्रस्तुत किया गया था और जैसा कि सूचित किया गया है, कुछ कर्मचारियों ने एक बार के निपटारे के तहत अपने दावों का निपटारा कर लिया है, लेकिन इस स्तर पर यह ध्यान देना उचित होगा कि जब कार्यवाही उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष लंबित थी, तो 24 जनवरी 2014 के आदेश द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेने के बाद लागू किया गया एक बार का समझौता कानूनी अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगा।24 जनवरी, 2014 के आदेश को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

“सीएम-109-एलपीए-2014

प्रार्थना के अनुसार अनुमति दी गई।

डी.

दस्तावेज़ अनुलग्नक ए 1 को ऐसे अपवादों के अधीन रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

सीएम को हटा दिया गया है।

एल. पी. ए.-2001-2013 में सीएम-71-एल. पी. ए.-2014

ई.

गैर-आवेदक/अपीलार्थियों को सूचना दें।सुश्री जयश्री ठाकुर, अधिवक्ता नोटिस स्वीकार करती हैं।

पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चूंकि सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लेने के बाद एक बार की निपटान योजना पहले ही लागू की जा चुकी है, इस आवेदन का इस स्पष्टीकरण के साथ निपटारा किया जाता है कि उक्त योजना का कार्यान्वयन आवेदक/उत्तरदाताओं के कानूनी अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगा।"

च

14. इस तथ्य पर आगे ध्यान दिया जा सकता है कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 31 अगस्त 2013 के एक निर्णय द्वारा रिट याचिकाओं का फैसला किया और नियम 15 (ii) को अपीलार्थी बैंक द्वारा 11 मार्च, 2014 के आदेश द्वारा हटा दिया गया था, जबकि कार्यवाही उच्च न्यायालय के समक्ष एल. पी. ए. में लंबित थी।

जी.

15. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता बैंक के कर्मचारी, जिन्होंने बैंक की सेवा की है, ए के दायरे में आते हैं।

एच.

303

पंजाब स्टेट को-ऑप। एग्रीक। विकास बैंक लिमिटेड बनाम.द रेजिस्ट्रार, को-ऑप। सोसायटीज [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

उस योजना के तहत जो अधिनियम 1952 (1989 से पहले) के तहत दिए गए समय पर लागू थी।यह अपीलकर्ता बैंक ही है जिसने राज्य सरकार की सिफारिशों को स्वीकार किया और कर्मचारियों से विकल्प मांगे कि क्या वे एक पेंशन योजना का विकल्प चुनना चाहते हैं जो नियम 1978 के तहत संशोधन किए जाने के बाद लागू हुई और एक सचेत निर्णय के बाद, नियम 15 (ii) पेश किया गया, संशोधित नियम के प्रभाव को दरकिनार करना उचित नहीं हो सकता है और इस तरह ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जो 1 अप्रैल, 1989 से लागू हुए नियमों के तहत कर्मचारियों को पेंशन लेने के लिए प्रदान किए गए अधिकारों को विफल करने का प्रभाव डालेगी और अंत में यह अभिनिर्धारित किया कि कर्मचारी नियम 1978 के तहत पेंशन योजना के सदस्य बनने वाले सभी कर्मचारियों को महँगाई भत्ते की संशोधित दरों सहित नियमित पेंशन के हकदार हैं।

ग

16. जब मामला उच्च न्यायालय की खंड पीठ के पास गया, तब तक 11 मार्च, 2014 के एक आदेश द्वारा संशोधन किया गया था और नियम 15 (ii) को हटा दिया गया था।डिवीजन बेंच ने पक्षों द्वारा की गई दलीलों पर ध्यान देने के बाद कहा कि पेंशन योजना तैयार करने का निर्णय अपीलकर्ता बैंक का अपने विवेक से लिया गया एक सचेत निर्णय था और संबंधित नियमों को 1 अप्रैल, 1989 से लागू किया गया था और नियम 15 (ii) को 11 मार्च, 2014 को हटा दिया गया था।मध्यावधि में, कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य बन गए और उन्हें पर्याप्त समय के लिए उनकी नियमित पेंशन का भुगतान किया गया, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता है और जो उनके हित के लिए पूर्वव्यापी रूप से हानिकारक है।यह संशोधन जिसने कर्मचारियों के पेंशन प्राप्त करने के निहित और अर्जित अधिकार को छीन लिया है और वह भी पूर्वव्यापी प्रभाव से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा और इस घोषणा के साथ एल. पी. ए. का निपटारा किया जाएगा कि नियम 1978 के तहत 11 मार्च, 2014 का संशोधन संभावित रूप से लागू होगा।17. उच्च न्यायालय की 29 जुलाई, 2019 की खंड पीठ का निर्णय अपीलकर्ता बैंक और सेवारत कर्मचारियों के कहने पर चुनौती का विषय बन गया, जिन्होंने दावा किया है कि भविष्य में पेंशन प्राप्त करने का उनका अधिकार प्रभावित हो सकता है, और तत्काल कार्यवाही में अपनी शिकायतों को उजागर करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

डी.

ई.

च

जी.

18. यह ध्यान रखना प्रासंगिक हो सकता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष, विभिन्न चरणों में, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आर. पी. एफ. सी.) द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अधिनियम 1952 का हिस्सा बनने के बाद छूट देने के संदर्भ में अलग-अलग जवाबी हलफनामे दायर किए गए थे।

एच.

19. आर. पी. एफ. सी. द्वारा अधिनियम 1952 के तहत दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि पहले इसका गलत उल्लेख किया गया था "पेंशन योजना से छूट दी गई", लेकिन यह एक तथ्यात्मक रूप से गलत बयान दर्ज किया गया था और आर. पी. एफ. सी. ने इस तरह का बयान देने के लिए बिना शर्त माफी मांगी है।आर. पी. एफ. सी. का यह स्वीकृत मामला है कि न तो अपीलकर्ता बैंक द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना से छूट के लिए कोई आवेदन दायर किया गया था और न ही इसे स्वीकार किया गया था और न ही अस्वीकार किया गया था।

20. ई. पी. एफ. सी. का रुख है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 दोनों को वृद्धावस्था/अंतिम सामाजिक सुरक्षा के न्यूनतम मूल को सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।इनमें से कोई भी योजना कर्मचारी के सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को समाप्त नहीं करती है।ई. पी. एफ. सी. के अनुसार, ई. पी. एफ. के बाहर पूरक पेंशन के लिए बैंक के वादे का मूल्यांकन इसी दृष्टि से किया जाना चाहिए।

ग

21. यह आगे कहा गया है कि बैंक की पेंशन योजना के तहत लाभों को केवल पूरक के रूप में समझा जा सकता है न कि प्रतिस्थापन के रूप में क्योंकि बैंक की पेंशन योजना में आश्रितों की पेंशन, नामितों की पेंशन, बच्चों की पेंशन या निकासी लाभों का प्रावधान नहीं था।यह केवल अपने कर्मचारियों को बहुत कम पेंशन कवर प्रदान करता है।इसकी पेंशन योजना को अधिनियम की धारा 17 (1 सी) के तहत छूट के लिए विचार नहीं किया जा सका।

डी.

ई.

22. अपीलार्थी बैंक के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि अपीलार्थी बैंक ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन एक पेंशन योजना तैयार की थी।भले ही, अपीलकर्ता बैंक ने प्राधिकरण से अनुमोदन/छूट के लिए आवेदन नहीं किया था, फिर भी तथ्य यह है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दिए जाने के अभाव में, सेवानिवृत्त लोग तब तक पेंशन प्राप्त करने के हकदार थे जब तक कि योजना चालू नहीं रहती, यानी 31 अक्टूबर, 2013 तक।

च

23. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि यदि कर्मचारियों को 31 अक्टूबर 2013 के बाद बैंक की योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने की अनुमति दी जा रही है और अधिनियम 1952 के तहत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से वैधानिक पेंशन भी प्राप्त की जा रही है, तो वास्तव में दोहरी पेंशन का भुगतान किया जाएगा जो किसी भी तरह से कानून में अनुमत नहीं है।

जी.

24. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि कर्मचारी पेंशन का हकदार है लेकिन पेंशन की गणना कैसे की जानी है, कोई भी किसी भी निहित/अर्जित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं है कि वे ए हैं

एच.

पेंशन नहीं मिल रही है।बैंक द्वारा वर्ष 1989 से शुरू की गई पेंशन योजना के तहत इसका भुगतान पहले किया गया था जब तक कि यह 31 अक्टूबर 2013 तक लागू नहीं रहा और उसके बाद, कर्मचारी अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अनुसार वैधानिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं।इस प्रकार, निहित अधिकार की याचिका, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया है, पूरी तरह से गलत है और जब तक अपीलकर्ता बैंक अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत अपने वैधानिक दायित्व को पूरा करता है, जिसका पालन करने के लिए वे बाध्य हैं, कर्मचारी 31 अक्टूबर, 2013 से प्रभावी रूप से वापस लेने के बाद बैंक द्वारा शुरू की गई योजना के तहत पेंशन का दावा करने के हकदार नहीं हैं और इस प्रकार कर्मचारी का कोई निहित/अर्जित अधिकार किसी भी तरह से विफल नहीं हुआ है और उच्च न्यायालय द्वारा बैंक पेंशन योजना को जारी रखने के लिए दर्ज किया गया निष्कर्ष कानून में टिकाऊ नहीं है और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

ग

25. उनकी दलीलों के समर्थन में, विद्वान वकील ने मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया

करमचारी संगठन और एक अन्य बनाम मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक और अन्य का प्रबंधन **1,** राजस्थान राज्य बनाम ए**.** एन**.** माथुर और अन्य **2** और हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य बनाम राजेश चंदर सूद और अन्य **3.**

डी.

26. विद्वान वकील ने आगे कहा कि बैंक द्वारा शुरू की गई पेंशन योजना बाद में वित्तीय रूप से अव्यवहारिक हो गई और 1 जनवरी, 2004 के बाद भर्ती किए गए मौजूदा कर्मचारियों की तुलना में सेवानिवृत्त लोगों की संख्या लगभग तीन गुना है और यदि अपीलकर्ता बैंक को बैंक पेंशन योजना के तहत पेंशन का भुगतान जारी रखने के लिए अनिवार्य किया जाता है, तो बैंक निष्क्रिय हो जाएगा और सेवारत कर्मचारियों द्वारा पेंशन में किया गया योगदान व्यर्थ हो जाएगा और उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति के समय कुछ भी नहीं मिलेगा।बैंक ने बाद के वर्षों में मामूली लाभ अर्जित किया है और फिर भी, दी गई परिस्थितियों में, अपीलकर्ता बैंक को यदि विवादित निर्णय के संदर्भ में पेंशन से अधिक भुगतान करने की अनुमति दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में संस्थान को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा और इसके अलावा इसने आर. पी. एफ. सी. से छूट का सहारा लिए बिना सेवारत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के बीच असमानता का एक व्यापक अंतर पैदा कर दिया है।

ई.

च

जी.

1 2011(9) एससीसी 620 2 2014 (13) एससीसी 531 3 2016 (10) एससीसी 77

एच.

27. विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि आर. पी. एफ. सी. ने अधिनियम 1952 की धारा 7 ए के तहत वर्ष अप्रैल 1989 से मार्च 2015 और वर्ष अप्रैल 2015 से जून 2017 के लिए अलग-अलग कार्यवाही शुरू की है, जिसमें बैंक पर क्रमशः 14 सितंबर, 2015 और 31 अगस्त, 2017 के आदेश द्वारा दायित्व लगाया गया है।उसी समय, हर्जाने के लिए धारा 14 बी और ब्याज के लिए धारा 7 क्यू के तहत अलग कार्यवाही भी शुरू की गई थी और प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के संदर्भ में, उसके अनुसार उठाई गई मांग अपीलार्थी द्वारा जमा की गई है।दी गई परिस्थितियों में, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने अप्रैल 1989 से अगस्त 2017 तक की अवधि के लिए हर्जाने और ब्याज के साथ पेंशन निधि योगदान के लिए वसूली की है।साथ ही, अपीलार्थी को बैंक पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करने के लिए कहा गया है, जो इस योजना के तहत एक स्तर पर कवर किए गए कर्मचारियों के लिए विवादित निर्णय के संदर्भ में है।यह कर्मचारियों के लिए लगभग

दोगुना भुगतान होगा जो उस भुगतान से अधिक है जो अधिनियम 1952 के तहत वैधानिक पेंशन योजना 1995 के संदर्भ में कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य था और इसके अलावा, ऐसे कर्मचारियों की श्रेणियां हैं जिन्होंने एकमुश्त निपटान के तहत अपने खातों का निपटान किया है जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और यदि निर्णय को आरईएम में लागू किया जाना है, तो यह न केवल पेंशन का दोहरा भुगतान होगा, बल्कि बैंक के लिए एक बड़ा वित्तीय संकट होगा जो अन्यथा कानून में अनुमत नहीं है।

ग

डी.

ई.

28. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. पटवालिया प्रस्तुत करते हैं कि निर्विवाद रूप से वर्तमान प्रत्यर्थी जो उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता थे, वे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और नियम 1978 की योजना के तहत संशोधन किए जाने के बाद, वे इसके सदस्य बन गए और 1 अप्रैल, 1989 से नियमों के तहत योजना के संदर्भ में पेंशन प्राप्त करना शुरू कर दिया और बिना किसी औचित्य के, अपीलकर्ता बैंक ने वर्ष 2010 में प्रत्यर्थी पेंशनभोगियों को पूर्ण पेंशन देना एकतरफा रूप से बंद कर दिया और यह वह चरण था जब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश किया गया था, जिसमें यह माना गया था कि ये पेंशनभोगी योजना के संदर्भ में पेंशन के हकदार हैं।पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के 31 अगस्त, 2013 के फैसले पर काबू पाने के लिए, 11 मार्च 2014 के आदेश द्वारा, नियम 15 (ii) को हटा दिया गया था और उक्त नियम को हटाकर, इसने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के निहित अधिकार को छीन लिया है और उनकी सेवा शर्तों को पूर्वव्यापी रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नुकसान के लिए बदल दिया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।

च

जी.

एच.

307

पंजाब राज्य सहकारी समिति। एग्रीक। विकास बैंक लिमिटेड बनामद रेजिस्ट्रार, को-ऑप। सोसायटीज [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

क.

29. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि जहां तक अधिनियम 1952 के तहत योजना का संबंध है, कर्मचारी पेंशन योजना पहली बार 1995 में अधिनियम 1952 के तहत शुरू की गई थी और यह अपीलार्थी द्वारा 1 अप्रैल, 1989 से प्रभावी अपने संकल्प संख्या 24 दिनांक 22 जून, 1989 के तहत शुरू की गई पेंशन योजना से कहीं भी संबंधित नहीं है और अपीलार्थी बैंक ने न तो अधिनियम 1952 की धारा 17 (1 सी) के तहत कोई छूट मांगी थी और न ही इस कारण से इसकी आवश्यकता थी कि बैंक ने वर्ष 1989 में पेंशन योजना शुरू की थी।उस समय, अधिनियम 1952 के तहत ऐसी कोई पेंशन योजना नहीं थी और एक बार यह स्पष्ट हो जाने के बाद कि अपीलकर्ता बैंक द्वारा अधिनियम 1952 के तहत कभी छूट नहीं मांगी गई थी, कम से कम निहित अधिकार जो उत्तरदाताओं को अर्जित किया गया है, उसे पूर्वव्यापी रूप से नहीं लिया जा सकता है जो टिकाऊ नहीं है और यह वही है जो खंड पीठ ने विवादित फैसले में माना है।

ग

30. संविधान पीठ पर निर्भरता रखी गई है

अध्यक्ष**,** रेलवे बोर्ड और अन्य बनाम सी**.** आर**.** में इस न्यायालय का निर्णय। रंगधमैया और अन्य **4** ने यू**.** पी**.** का अनुसरण किया। राघवेंद्र आचार्य और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य **5** और बैंक ऑफ बड़ौदा और एक अन्य बनाम जी**.** पलानी और अन्य **6.**

डी.

31. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि आधे से अधिक उत्तरदाता 73 से 80 वर्ष की आयु वर्ग के हैं और एक तिहाई सेवानिवृत्त मुकदमेबाजी के लंबित रहने के दौरान पहले ही समाप्त हो चुके हैं और यह अपीलकर्ता बैंक है जिसने अपनी इच्छा से योजना शुरू की थी और प्रतिवादी कर्मचारियों ने उक्त योजना द्वारा शासित होने के अपने विकल्प का प्रयोग किया है और कर्मचारियों ने अपने अंशदायी भविष्य निधि को भी त्याग दिया है।दी गई परिस्थितियों में, जो अधिकार प्रत्यर्थी कर्मचारियों के पक्ष में प्रदत्त और निहित हैं, उन्हें अपीलार्थी द्वारा मनमाने तरीके से वापस नहीं लिया जा सकता है जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

ई.

च

32. विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि जहां तक वन टाइम सेटलमेंट योजना का संबंध है, इसे उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के तहत एक अंतरिम उपाय के रूप में पेंशन योजना को वापस लेने के कारण होने वाली समस्या को कम करने के लिए पेश किया गया था।चूंकि आमने-सामने होने वाले कर्मचारियों के लिए कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उनमें से कुछ ने वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत स्वीकार किया है, लेकिन डिवीजन बेंच ने अपने

जी.

4 1997(6) एससीसी 623 5 2006 (9) एससीसी 630

6 2018 एससीसी ऑनलाइन एससी 3691

एच.

अंतरिम आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि एकमुश्त निपटान की स्वीकृति उनके कानूनी अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगी, दी गई परिस्थितियों में, कुछ कर्मचारियों को एकमुश्त निपटान योजना के तहत जो भुगतान किया गया है, वह हमेशा उस योजना के तहत समायोजित किया जा सकता है जिसके लिए वे कानून के तहत हकदार हैं।यह योजना दो दशकों से अधिक समय से प्रचलन में थी और अपीलकर्ता बैंक के लिए यह खुला नहीं है कि वह मनमाने तरीके से उनके निहित अधिकारों को छीन ले और उन्हें पेंशन के लाभ से वंचित कर दे जो कि 1989 से सेवानिवृत्त लोगों के संबंध में प्रचलित है।33. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के विद्वान वकील श्री सिद्धार्थ प्रस्तुत करते हैं कि अपीलकर्ता बैंक अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत आता है और अधिनियम के तहत तीन योजनाएं तैयार की गई हैं, पहला, कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 (ई. पी. एफ. एस.) जो अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत एक अंशदायी भविष्य निधि स्थापित करती है। नियोक्ता और कर्मचारी समय-समय पर कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित निर्धारित दरों पर समान मात्रा में भविष्य निधि में योगदान करते हैं। हालांकि, वर्तमान में कर्मचारियों का मासिक वेतन 12 प्रतिशत है।दूसरा, अधिनियम, 1952 की धारा 6 ए के तहत कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस) योजना बनाई गई है जो पहले की कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 (एफपीएस) की जगह लेती है।पारिवारिक पेंशन योजना ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों को पेंशन प्रदान करती है जो नौकरी में रहते हुए मर जाते हैं।दूसरी ओर, ई. पी. एस. एक व्यापक पेंशन योजना है जो सेवानिवृत्ति पेंशन, प्रारंभिक पेंशन और आश्रितों की पेंशन प्रदान करती है।इसे ई. पी. एफ. एस. में किए गए योगदान के नियोक्ताओं के हिस्से के एक हिस्से को पेंशन कोष (वर्तमान में मासिक मजदूरी का 8.33%) में परिवर्तित करके वित्त पोषित किया जाता है।कर्मचारी ई. पी. एस. के तहत योगदान नहीं करते हैं। तीसरी योजना कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा योजना, 1976 है।बैंक ने ई. पी. एफ. एस. से धारा 17 (1) (बी) के तहत और ई. डी. एल. आई. एस. से धारा 17 (2ए) के तहत छूट मांगी।जहां तक तत्काल कार्यवाही में उठाए गए वर्तमान विवाद का संबंध है, छूट का भाग्य और उसके परिणाम प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं, साथ ही यह विशेष रूप से कहा जा रहा है कि अपीलकर्ता बैंक ने 16 नवंबर, 1995 के बाद कर्मचारी पेंशन योजना के संचालन से कोई छूट नहीं मांगी थी।

ग

डी.

ई.

च

जी.

34. विद्वान वकील ने आगे कहा कि, इस बीच में, चूंकि अपीलकर्ता बैंक अपना देय योगदान जमा करने में विफल रहा, पहले पारिवारिक पेंशन योजना के तहत और बाद में 1 अप्रैल 1989 से 31 मार्च 2015 और अप्रैल 2015 से जून 2017 तक की अवधि के लिए कर्मचारी पेंशन योजना के तहत, ए के तहत अलग-अलग कार्यवाही शुरू की गई थी।

एच.

309

पंजाब राज्य सहकारी समिति। एग्रीक। विकास बैंक लिमिटेड बनाम.द रेजिस्ट्रार, को-ऑप। सोसायटीज [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

धारा 7 ए के बाद धारा 14 बी के तहत हर्जाना और धारा 7 क्यू के तहत ब्याज और अपीलार्थी बैंक को अवसर देने के बाद अंतिम आकलन किया गया है।इसके अनुसार, धन जमा किया गया है, लेकिन इसका बैंक द्वारा शुरू की गई पेंशन योजना से कोई लेना-देना नहीं है, जिसे केवल पूरक के रूप में समझा जा सकता है और इस कारण से प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता है कि बैंक पेंशन योजना में आश्रितों की पेंशन, बच्चों की पेंशन या निकासी लाभ प्रदान नहीं किए गए थे और ऐसे लाभ केवल अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत शुरू की गई कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत तैयार किए गए हैं।

35. सेवारत कर्मचारियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गुरमिंदर सिंह ने कहा कि अपीलकर्ता बैंक द्वारा शुरू की गई पेंशन योजना के अनुसार, कर्मचारियों को अपना योगदान स्वयं करना पड़ता है और सेवारत कर्मचारियों की घटती संख्या को देखते हुए, उनके योगदान का उपयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान के लिए किया जा रहा है और बैंक इस दलील पर जोर दे रहा है कि वित्तीय संकट के कारण बैंक के लिए पेंशन योजना को जारी रखना संभव नहीं है और यही कारण है कि बैंक द्वारा बाद के चरण में पेंशन योजना वापस ले ली गई थी और यह उन सेवारत कर्मचारियों के हित को प्रभावित करता है जिनके पूरे कर्मचारियों के योगदान का उपयोग सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन के भुगतान के खिलाफ किया जा रहा है और लगातार, सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के नियोक्ता के हिस्से की कमी है।

ग

डी.

ई.

36. विद्वान वकील के अनुसार निर्विवाद तथ्य यह है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवारत कर्मचारियों की कीमत पर बैंक पेंशन योजना के तहत उनकी पेंशन का भुगतान किया जा रहा है और यह सेवारत कर्मचारियों के हितों को प्रभावित करता है जो खतरे में पड़ रहे हैं।

च

37. विद्वान अधिवक्ता वैकल्पिक रूप से आगे प्रस्तुत करते हैं कि सेवानिवृत्त/सेवारत कर्मचारियों के वर्ग को समान मानकों/मापदंडों के साथ निपटाया जाना चाहिए और सभी कर्मचारियों के लिए एक सेवानिवृत्ति योजना का पालन किया जाना चाहिए, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि वे सेवारत हैं या सेवानिवृत्त हैं और यह अन्यायपूर्ण होगा यदि बैंक पेंशन योजना को

सेवारत कर्मचारियों की कीमत पर जारी रखने की अनुमति दी जाती है जो उन्हें बैंक द्वारा शुरू की गई पेंशन के उनके अधिकार से वंचित कर देगा, जिसके लिए वे अन्यथा कानून के तहत हकदार हैं।

जी.

38. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और उनकी सहायता से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

एच.

39. तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है कि उत्तरदाता पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड, चंडीगढ़ के सेवानिवृत्त कर्मचारी और सदस्य हैं और वे पहले अधिनियम 1952 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि योजना के सदस्य थे।इस योजना का विधिवत पालन किया जा रहा था और कर्मचारियों और नियोक्ता बैंक द्वारा आवश्यक योगदान किया जा रहा था।बाद में, पेंशन योजना शुरू करने के संबंध में पंजाब वेतन आयोग की सिफारिश के साथ, अपीलकर्ता बैंक के प्रशासक ने अपने 22 जून, 1989 के प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया और इसके परिणामस्वरूप, नियम 1978 में कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पेंशन योजना 1 अप्रैल 1989 से लागू की गई।

ग

40. तदनुसार, नियम 1978 में संशोधन किया गया और नियम 15 (ii) को पंजीयक सहकारी समितियों, पंजाब की पूर्व मंजूरी के साथ पेंशन योजना तैयार करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करने के लिए पेश किया गया।इसके अनुसार, संशोधन इस विकल्प के साथ किया गया था कि ऐसे कर्मचारी जो नियमों (पेंशन योजना) का विकल्प चुनते हैं, वे इन नियमों के दायरे में आएंगे।दिए गए समय पर, ऐसे कर्मचारी जो इन नियमों का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे अधिनियम, 1952 द्वारा शासित होंगे।

डी.

41. निर्विवाद रूप से, सभी प्रत्यर्थी कर्मचारियों को सेवा से सेवानिवृत्त होने पर पेंशन योजना का सदस्य बनने का विकल्प दिया गया था और वर्ष 2010 तक लगातार विकल्प चुनने के बाद भी उन्हें पेंशन का लाभ मिलता रहा और उसके बाद ही, मुकदमा तब शुरू हुआ जब अपीलकर्ता बैंक ने बैंक पेंशन योजना के संदर्भ में पेंशन का भुगतान करना बंद कर दिया।हालांकि बैंक पेंशन योजना 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद कार्यरत कर्मचारियों के मामलों में लागू नहीं होगी।बाद में, बैंक ने 11 मार्च, 2014 को एक संशोधन द्वारा पेंशन योजना के नियम 15 (ii) को हटाने का निर्णय लिया और यह कर्मचारियों की शिकायत का कारण बन गया कि वे अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाकर बैंक की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे।

ई.

च

42. विचार के लिए जो प्रश्न उभरता है वह यह है कि किसी कर्मचारी के निहित या अर्जित अधिकारों की अवधारणा क्या है और दिए गए समय पर क्या ऐसे निहित या अर्जित अधिकारों को नियम बनाने वाले प्राधिकरण द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से विभाजित किया जा सकता है।

जी.

43. सेवा न्यायशास्त्र में और विशेष रूप से पेंशन के संबंध में निहित/उपार्जित अधिकार की अवधारणा की जांच इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और अन्य (ऊपर) में निम्नानुसार की गई हैः- ए.

एच.

311

पंजाब राज्य सहकारी समिति। एग्रीक। विकास बैंक लिमिटेड बनामद रेजिस्ट्रार, को-ऑप। सोसायटीज [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

“11. न्यायाधिकरण की पूर्ण पीठ के उक्त निर्णय के आधार पर, बैंगलोर, हैदराबाद, इलाहाबाद, जबलपुर, जयपुर, मद्रास और एर्नाकुलम में न्यायाधिकरण की अन्य पीठों ने इसी आधार पर राहत देने के आदेश पारित किए हैं।ये अपीलें और विशेष अनुमति याचिकाएं पूर्ण पीठ और न्यायाधिकरण की उन अन्य पीठों के फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं।इनमें से कुछ मामलों को इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष 28-3-1995 पर रखा गया था, जिस तारीख को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

“वर्तमान मामले में दो प्रश्न उठते हैं।, (i) जहां तक सरकारी कर्मचारी का संबंध है, निहित या अर्जित अधिकारों की अवधारणा क्या है, और (ii) क्या निहित या अर्जित अधिकारों को अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए नियमों या उस अनुच्छेद के तहत बनाए गए अधिनियम द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से हटाया जा सकता है, और उनमें से कौन सा और किस हद तक।

ग

हम पाते हैं कि रोशन लाल टंडन बनाम भारत संघ (1968) 1 एस. सी. आर. 185 में संविधान पीठ के निर्णय; बी. एस. वाडेरा बनाम भारत संघ (1968) 3 एस. सी. आर. 575 और गुजरात राज्य बनाम रमन लाल केशव लाल सोनी (1983) 2 एस. सी. सी. 33 को के. सी. अरोड़ा बनाम हरियाणा राज्य (1984) 3 एस. सी. सी. 281 और के. नागराज बनाम ए. पी. राज्य (1985) 1 एस. सी. सी. 523 में पी. डी. अग्रवाल बनाम यू. पी. राज्य (1987) 3 एस. सी. सी. 622 और के. नारायणन बनाम कर्नाटक राज्य 1994 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 44 में दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसलों द्वारा समझाने की मांग की गई है।प्रथम दृष्टया, ये स्पष्टीकरण उक्त संविधान पीठ के फैसलों के अनुपात के विपरीत हैं।हमारे लिए तीन-न्यायाधीशों की पीठ के रूप में बैठकर उक्त संघर्ष को हल करना संभव नहीं है।इसलिए, इस मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजना आवश्यक हो गया है।तदनुसार हम इन अपीलों को पाँच विद्वान न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजते हैं।"

डी.

ई.

च

44. यह न्यायालय, इस विषय पर पहले के दृष्टिकोण पर ध्यान देने के बाद

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और अन्य (ऊपर) में निम्नानुसार आयोजित किया गयाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

“20. इसलिए, यह कहा जा सकता है कि एक नियम जो पहले से ही सेवा में बैठे लोगों के भविष्य के अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए भविष्य में काम करता है, उस पर संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करने के रूप में पूर्व सक्रियता के आधार पर हमला नहीं किया जा सकता है, बल्कि एक नियम जो पूर्व तिथि से उस लाभ को उलटने का प्रयास करता है जो दिया गया है या जिसका लाभ उठाया गया है।

एच.

312

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

पदोन्नति या वेतनमान को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करने के रूप में हमला किया जा सकता है, जिस हद तक यह पूर्वव्यापी रूप से काम करता है।

24. इनमें से कई निर्णयों में "निहित अधिकार" या "अर्जित अधिकार" अभिव्यक्तियों का उपयोग उन विवादित प्रावधानों को निरस्त करते समय किया गया है जिन्हें पूर्वव्यापी संचालन दिया गया था ताकि कर्मचारियों की पदोन्नति, वरिष्ठता, मूल नियुक्ति आदि के मामले में प्रतिकूल प्रभाव पड़े।उक्त अभिव्यक्तियों का उपयोग प्रासंगिक नियम के तहत प्रवाहित होने वाले अधिकार के संदर्भ में किया गया है, जिसे पूर्व तिथि से प्रभाव से बदलने की मांग की गई थी और इस तरह उस समय लागू नियम के तहत उपलब्ध लाभों को छीन लिया गया था।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पूर्वव्यापी संचालन वाला ऐसा संशोधन जो मौजूदा नियम के तहत कर्मचारी को पहले से उपलब्ध लाभ को छीनने का प्रभाव रखता है, मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन है।हम यह मानने में असमर्थ हैं कि ये निर्णय रोशन लाल टंडन (1968) 1 एस. सी. आर. 185, बी. एस. के निर्णयों के अनुरूप नहीं हैं।

ग

डी.

वेदेरा (1968) 3 एस. सी. आर. 575 और रमन लाल केशव लाल सोनी

(1983) 2 एससीसी 33.

25. इन मामलों में हम कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद देय पेंशन के बारे में चिंतित हैं।प्रतिवादी अब विवादित अधिसूचना जारी करने की तारीख को सेवा में नहीं थे।नियमों में संशोधन भविष्य में उनके अनुप्रयोग में प्रतिबंधित नहीं हैं।ये संशोधन उन कर्मचारियों पर लागू होते हैं जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे और विवादित अधिसूचना जारी होने की तारीख को सेवा में नहीं थे।

ई.

च

33. अनुच्छेद 31 (1) और 19 (1) (च) के तहत तब उपलब्ध अधिकारों का उल्लंघन करने के अलावा, विवादित संशोधन, जहां तक उन्हें पूर्वव्यापी संचालन दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का भी उल्लंघन करते हैं क्योंकि वे अनुचित और मनमाने हैं क्योंकि नियम 2544 में उक्त संशोधनों का उन कर्मचारियों को देय पेंशन की राशि को कम करने का प्रभाव है जो अपनी सेवानिवृत्ति के समय लागू नियम 2544 में निहित प्रावधानों के अनुसार, विवादित अधिसूचना जारी करने की तारीख से पहले ही सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके थे।"

जी.

(जोर दिया गया)

एच.

313

पंजाब स्टेट को-ऑप। एग्रीक। विकास बैंक लिमिटेड बनाम.द रेजिस्ट्रार, को-ऑप। सोसायटीज [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

क.

45. बाद में, यू. पी. में राघवेंद्र आचार्य और अन्य (ऊपर),

विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या जिन अपीलार्थियों को 1 जनवरी, 1996 से संशोधित वेतनमान का लाभ दिया गया था, उन्हें पेंशन की गणना के उद्देश्य से उससे गणना किए गए उनके सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित किया जा सकता था।उस संदर्भ में, नियमों की योजना की जांच करते हुए और अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और अन्य (ऊपर) में संविधान पीठ के फैसले पर

भरोसा करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“22. राज्य अपने कर्मचारियों को पेंशन लाभों के अनुदान के भुगतान के लिए नई योजना को लागू करते समय, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एक वर्ग को इससे वंचित कर सकता है जो नियमों के एक अलग सेट द्वारा शासित थे।यदि कानून में इसकी अनुमति है तो कर्मचारियों के एक वर्ग को भी लाभों के विस्तार से वंचित किया जा सकता है।हालाँकि, अपीलार्थियों का मामला बिल्कुल अलग है।वे वेतन के संशोधित मानकों का लाभ उठा रहे थे।केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कर्नाटक राज्य को वेतन संशोधन समिति के लाभ उनके पक्ष में बढ़ाने की सिफारिश की गई है।उनके मामले में वेतन को 1986 में संशोधित किया गया था जबकि कर्नाटक राज्य के कर्मचारियों के वेतन को 1993 में संशोधित किया गया था।इस प्रकार, वेतन संशोधन समिति डब्ल्यू. ई. एफ. 1-1-1996 की सिफारिशों के लाभों से अपीलार्थियों को वंचित नहीं किया जा सकता था।

ग

डी.

ई.

30. अध्यक्ष, आर. एल. बोर्ड बनाम सी. आर. रंगधमैया (1997) 6

एस. सी. सी. 623, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने राय दीः“33. अनुच्छेद 31 (1) और 19 (1) (च) के तहत तब उपलब्ध अधिकारों का उल्लंघन करने के अलावा, विवादित संशोधन, जहां तक उन्हें पूर्वव्यापी संचालन दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का भी उल्लंघन करते हैं क्योंकि वे अनुचित और मनमाने हैं क्योंकि नियम 2544 में उक्त संशोधनों का उन कर्मचारियों को देय पेंशन की राशि को कम करने का प्रभाव है जो अपनी सेवानिवृत्ति के समय लागू नियम 2544 में निहित प्रावधानों के अनुसार, विवादित अधिसूचना जारी करने की तारीख से पहले ही सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके थे।"

च

जी.

31. अपीलार्थी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके थे।इसलिए राज्य पूर्वव्यापी प्रभाव से उनकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले वैधानिक नियमों में संशोधन नहीं कर सकता था।"

एच.

46. बाद में, बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य (ऊपर) में, प्रश्न

उन कर्मचारियों के संबंध में जो 1 अप्रैल 1998 को या उसके बाद और 31 अक्टूबर, 2002 से पहले सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्त हुए या उनकी मृत्यु हो गई, जिनके लिए लाभ निहित थे और उपार्जित किए गए थे, उन्हें उनके सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित किया जा सकता था।इस संदर्भ में, संविधान पर निर्भर दृष्टिकोण पर ध्यान देते हुए

पीठ का निर्णय, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और अन्य (ऊपर), यह

न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः- “29. इस प्रकार, हमारी राय में, वे विनियम जो 2003 तक लागू थे, पूर्ण बल के साथ लागू होंगे और वास्तव में, विनियम 2 (ओं) में स्पष्टीकरण (सी) को जोड़कर इसमें किए गए संशोधनों का पेंशन से संबंधित विनियमों में संशोधन करने का प्रभाव नहीं पड़ा, जैसा कि 1995 के विनियमों के विनियम 2 (डी) और 35 के साथ पठित विनियम 38 में निहित है।अन्यथा भी, यदि इसका प्रभाव वेतन और भत्तों 'औसत परिलब्धियों' में संशोधन करने का होता,

जैसा कि विनियमन 2 (डी) में निर्दिष्ट किया गया है, तो यह पूर्वव्यापी रूप से संचालित नहीं हो सकता था और अर्जित अधिकारों को छीन नहीं सकता था।अन्यथा भी, यह सत्ता का मनमाना प्रयोग होता।इसके अलावा, अधिकारी संघ के तथाकथित संयुक्त नोट का कोई बाध्यकारी वैधानिक बल नहीं था, जैसा कि स्वीकार किया जाता है, यहां तक कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान भी लागू नहीं थे और संयुक्त नोट का कोई वैधानिक समर्थन नहीं था, और यह उन अधिकारियों को विनियमों के तहत उपलब्ध लाभों को छोड़ने के लिए खुला नहीं था जो दिसंबर 1999 तक और उसके बाद तक 1.4.1998 से सेवानिवृत्त हुए हैं, और उन्हें विनियमों के लाभों से वंचित करने के लिए।इस प्रकार, जिस संयुक्त नोट पर भरोसा किया गया है, उसके अनुसार कोई अवरोध नहीं बनाया गया है।वैधानिक प्रावधानों के प्रवर्तन के खिलाफ कोई रोक नहीं है।संयुक्त नोट में कानून का कोई बल नहीं था और यह 1970 के अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के तहत परिकल्पित वैधानिक विनियमों और बुनियादी सेवा शर्तों की भावना के खिलाफ नहीं हो सकता था।उनके साथ मनमाने तरीके से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम ए. एन. आर. मामले में निर्धारित किया गया है।ब्रोजो नाथ गांगुली और ए. एन. आर. (1986) 3 एस. सी. सी. 156 और दिल्ली परिवहन निगम बनाम। डी. टी. सी. मजदूर कांग्रेस, (1991) सप.1 एससीसी 600।"

ग

डी.

ई.

च

जी.

47. कानूनी सिद्धांतों की व्याख्या यह है कि एक संशोधन जिसमें पूर्वव्यापी संचालन होता है जो मौजूदा ए के तहत कर्मचारी को पहले से उपलब्ध लाभ को छीनने का प्रभाव रखता है।

एच.

315

पंजाब राज्य सहकारी समिति। एग्रीक। विकास बैंक लिमिटेड बनामद रेजिस्ट्रार, को-ऑप। सोसायटीज [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

नियम वास्तव में कर्मचारी को उसके निहित या अर्जित अधिकारों से वंचित कर देगा और ऐसा होने पर, इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा।

48. तत्काल मामले में, बैंक पेंशन योजना 1 अप्रैल 1989 से शुरू की गई थी और कर्मचारियों से विकल्प मांगे गए थे और जिन्होंने अपना विकल्प दिया था वे पेंशन योजना के सदस्य बन गए और तदनुसार उन्हें लगातार पेंशन का भुगतान किया गया और केवल वर्ष 2010 में, जब बैंक अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहा, तो प्रतिवादी कर्मचारियों ने रिट याचिकाएं दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।बैंक ने बाद में 11 मार्च, 2014 को एक संशोधन द्वारा खंड 15 (ii) को हटाकर पेंशन की योजना को वापस ले लिया, जिसे 1 अप्रैल, 1989 से लागू किया गया था और जिन कर्मचारियों ने इस योजना के तहत पेंशन का लाभ उठाया था, वास्तव में उनके अधिकार निहित थे और उन्हें अर्जित किया गया था और इसके विपरीत कोई भी संशोधन, जो मौजूदा नियम के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी को अर्जित अधिकार को छीनने के लिए पूर्वव्यापी संचालन के साथ किया गया है, निश्चित रूप से न केवल अनुच्छेद 14 का बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है।

ग

डी.

49. यह भी देखा जा सकता है कि वैध अपेक्षा और कर्मचारियों के पक्ष में निहित/अर्जित अधिकार के बीच अंतर है।नियम जो ऐसे कर्मचारी को पदोन्नति, वरिष्ठता, सेवानिवृत्ति के उद्देश्यों के लिए वर्गीकृत करता है, निस्संदेह उन लोगों पर काम करता है

जिन्होंने नियम बनाने से पहले सेवा में प्रवेश किया था, लेकिन यह भविष्य में काम करता है।एक अर्थ में, यह उन लोगों के वरिष्ठता, पदोन्नति या सेवानिवृत्ति की आयु के भविष्य के अधिकार को नियंत्रित करता है जो पहले से ही सेवा में हैं।

ई.

50. उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को सेवा में प्रवेश करते समय, यह वैध अपेक्षा है कि नियमों की तत्कालीन मौजूदा योजना के अनुसार, उसे योग्यता सेवा के कुछ वर्षों के बाद या सेवानिवृत्ति की आयु के साथ पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है जो नियमों की योजना के तहत निर्धारित किया जा रहा है, लेकिन बाद के चरण में, यदि पदोन्नति की योजना या सेवानिवृत्ति की आयु में कोई संशोधन किया जाता है, तो यह सेवा की अन्य शर्तों को बदल सकता है जैसे कि नियमों की योजना भविष्य में संचालित होती है।लेकिन साथ ही, यदि वह कर्मचारी जिसे पहले ही किसी विशेष वेतनमान में पदोन्नत या निर्धारित किया जा चुका है, यदि उसे नियमों की विवादित योजना द्वारा पूर्वव्यापी रूप से छीन लिया जा रहा है, तो यह निश्चित रूप से पदधारी के निहित/अर्जित अधिकार को छीन लेगा जो अनुज्ञेय नहीं हो सकता है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन हो सकता है।

च

जी.

एच.

51. जिस फैसले पर अपीलार्थी बैंक के विद्वान वकील ने मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक के मामले में निर्भरता रखी है

करमचारी संगठन और एक अन्य (ऊपर), के तहत मुद्दा

विचार भविष्य निधि के संबंध में था।मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत अनिवार्य दरों की तुलना में योगदान की बेहतर दरों पर एक भविष्य निधि योजना शुरू की थी।इसलिए, भविष्य निधि की बेहतर योजना को धारा 17 (1) के तहत छूट प्रदान करके वैधानिक रूप से मान्यता दी गई थी।बाद में, मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक ने वित्तीय व्यवहार्यता के लिए अपनी भविष्य निधि योजना को बंद कर दिया, और ई. पी. एफ. एस. के पैराग्राफ 26 के तहत अनिवार्य दरों पर वापस आ गया। बैंक ने बाद में योजना के पैरा 26 के तहत अपने स्वैच्छिक योगदान का उपयोग करने से इनकार कर दिया क्योंकि छूट को अस्वीकार कर दिया गया था और इस न्यायालय द्वारा इसे बरकरार रखा गया था जो तत्काल मामले में अपीलार्थी के विद्वान वकील के लिए कोई सहायता नहीं हो सकता है।

ग

52. जहाँ तक हिमाचल प्रदेश राज्य में निर्णय का संबंध है और

अन्य (ऊपर) का संबंध है, यह एक ऐसा मामला था जहां अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत योजना के अलावा, हिमाचल प्रदेश राज्य ने हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट क्षेत्र के कर्मचारी पेंशन (पारिवारिक पेंशन, पेंशन और ग्रेच्युटी का कम्यूटेशन) योजना, 1999 के लिए एक और योजना तैयार की थी।इसे 1 अप्रैल 1999 से चालू किया गया था, लेकिन इससे पहले कि कर्मचारियों के अधिकार निहित/अर्जित किए जा सकें, इसे 2 दिसंबर, 2004 को निरस्त कर दिया गया था।सवाल यह उठा कि क्या 1999 की योजना के तहत एक बार विकल्प चुनने पर कर्मचारी के पास निहित ऐसा आकस्मिक अधिकार 2 दिसंबर, 2004 की अधिसूचना द्वारा निरस्त किए जाने के बावजूद बाध्यकारी या अपरिवर्तनीय था।उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने कहा कि यह उस अधिकार का मामला नहीं था जो कर्मचारी को प्राप्त हुआ था और उस संदर्भ में, इस न्यायालय द्वारा निरसन अधिसूचना को बरकरार रखा गया था।53. राजस्थान राज्य (उपरोक्त) में, यह एक ऐसा मामला था जहां विश्वविद्यालय, जो अपने संकल्प द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाया गया एक स्वायत्त निकाय था, ने इस तथ्य का सहारा लिए बिना पेंशन योजना शुरू की

कि विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड के प्रस्ताव को अधिनियम की धारा 39 के संदर्भ में कुलाधिपति, यानी राज्य के राज्यपाल से पूर्व अनुमोदन के साथ ही लागू किया जा सकता है और इसे कुलाधिपति द्वारा कभी भी अनुमोदित नहीं किया गया था, जिसके अभाव में, प्रबंधन बोर्ड का ऐसा प्रस्ताव अनधिकृत था और इसे लागू करने के लिए खुला नहीं था।दी गई परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार था कि धारा 39 के अधिदेश का पालन नहीं किए जाने के कारण, विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड ने पेंशन की योजना शुरू करना उचित नहीं था।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

317

पंजाब स्टेट को-ऑप। एग्रीक। विकास बैंक लिमिटेड बनाम.द रेजिस्ट्रार, को-ऑप। सोसायटीज [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

क.

54. जहाँ तक अपीलार्थी बैंक के वित्तीय संकट के बारे में अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह कहने के लिए कि पेंशन के अनुदान को जारी रखना संभव नहीं हो सकता है, यह कहने के लिए पर्याप्त है कि नियम बनाने वाले प्राधिकारी को अधीनस्थ कानून के विशेष हिस्से के परिणामों को जानने के लिए माना गया था और एक बार जब बैंक ने पंजाब सरकार और सहकारी पंजीयक से अनुमति लेने के बाद एक सचेत निर्णय लिया, तो 1 अप्रैल 1989 से पेंशन योजना शुरू की गई, यह माना जा सकता है कि सक्षम प्राधिकारी को उन संसाधनों के बारे में पता था जहाँ से अपने सेवानिवृत्त लोगों को भुगतान करने के लिए धन बनाया जाना है और केवल इसलिए कि बाद में वह अपने आदेश पर वित्तीय संसाधन रखने में असमर्थ था।55. हमारे विचार में, वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता अपीलकर्ता बैंक के लिए कर्मचारियों को अर्जित निहित अधिकारों को छीनने के लिए उपलब्ध बचाव नहीं होगा, वह भी तब जब यह उनकी सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के लिए हो।यह एक आश्वासन है कि उनके बुढ़ापे में, पेंशन के लिए उनका आवधिक भुगतान सुनिश्चित रहेगा।जो पेंशन उन्हें दी जा रही है वह कोई इनाम नहीं है और यह अपीलार्थी के लिए है कि वह उन संसाधनों का उपयोग करे जहां से कर्मचारियों के अधिकारों को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध कराया जा सकता है ताकि उनके पक्ष में अर्जित निहित अधिकारों की रक्षा की जा सके।56. जहाँ तक सेवारत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने का संबंध है, उनके पास सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है।साथ ही, इस न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने की उनकी आशंका पूरी तरह से गलत है क्योंकि नियोक्ता/कर्मचारी का योगदान अधिनियम 1952 की कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत प्रदान किया जा रहा है जो सेवारत कर्मचारियों पर लागू होता है और वे अधिनियम 1952 के प्रावधानों के अनुसार पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं।जहां तक योगदान के भुगतान के संबंध में उनकी शिकायत का संबंध है, यह किसी भी तरह से सेवानिवृत्त/उत्तरदाताओं को पेंशन के भुगतान के लिए समायोजित नहीं किया जाएगा, जो पेंशन योजना के संदर्भ में अपनी पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसमें वे सदस्य हैं और यह अपीलकर्ता बैंक का काम है कि वह संसाधनों को आरक्षित करे और उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतान करे जो योजना में पेंशन चाहते हैं जब वे सदस्य बने और उसके अनुसार लाभ उठाए।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

57. फैसला देने से पहले, हम इस स्थिति से बेखबर नहीं रह सकते कि कर्मचारियों की शिकायत कि उन्हें 2013 से अपनी पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, दिए गए समय में कुछ कर्मचारियों को बैंक द्वारा एक अंतरिम उपाय के रूप में पेश किए गए एकमुश्त निपटान का लाभ दिया गया है, जो लंबित मुकदमेबाजी में दोनों पक्षों की शिकायत को ध्यान में रखते हुए, बैंक की वित्तीय बाधाओं और बैंक पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के हकदार कर्मचारियों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, हम यह देखना उचित समझते हैं कि जहां तक पेंशन के तत्व के लिए बकाया है, जिसके लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी हकदार हैं, अपीलकर्ता बैंक 31 दिसंबर, 2021 तक 12 मासिक किश्तों में पेंशन के लिए बकाया भुगतान करने के लिए स्वतंत्र है।फिर भी यदि बकाया बकाया रहता है, तो इसका भुगतान 12 मासिक किश्तों में किया जाएगा।साथ ही, प्रत्येक कर्मचारी जो बैंक पेंशन योजना का सदस्य है, उसे जनवरी 2022 के महीने से पेंशन मिलनी चाहिए, जो कानून के तहत स्वीकार्य है।

ग

डी.

58. जहां तक अप्रैल 1989 से मार्च 2015 की अवधि के लिए और अप्रैल 2015 से जून 2017 के लिए अधिनियम 1952 की धारा 7 ए, धारा 14 बी और धारा 7 क्यू के तहत पारित आदेशों के संबंध में अपीलकर्ता बैंक की शिकायत, जिसकी प्रतियां रिकॉर्ड में रखी गई हैं, तत्काल कार्यवाही में चुनौती का विषय नहीं हैं, अपीलकर्ता के लिए कानूनी सहारा लेने के लिए खुला होगा, यदि वह कानून के तहत उपलब्ध उचित कार्यवाही में व्यथित है।

ई.

59. नतीजतन, अपील विफल हो जाती हैं और तदनुसार ऊपर उल्लिखित टिप्पणियों के साथ खारिज कर दी जाती हैं।

च

60. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

दिव्या पांडे

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

जी.

एच.